रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 426] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 1983/कार्तिक 11, 1905
No. 426] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 2, 1983/KARTIKA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर 1983

सा. का. नि. 815(अ) — केन्द्रीय सरकार, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) की धारा 31 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) नियम, 1983 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1973 में, नियम 2ख के खंड (ख) में शब्द "तो वह" के पश्चात् शब्द "सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर" अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 1/23/76-पुरावशेष]

डा. (श्रीमती) देवला मित्र, महानिदेशक

पाद टिप्पणी —य मूल नियम सा. का. नि. सं. 405 (अ) दिनांक 31 अगस्त, 1973 के अंतर्गत अधिसूचित हुए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. सं. 683(अ) दिनांक 6 दिसम्बर, 1979 के अंतर्गत संशोधित हुए थे ।

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 1983

G.S.R. 815(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Antiquities and Art Treasures Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Antiquities and Art Treasures (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Antiquities and Art Treasures Rules, 1973, in clause (b) of rule 2B, after the words "Central Government" the words "within two months from the date of the publication of the notification in the Official Gazette" shall be inserted.

[No. 1|23|76-Ant.]

DR. (MRS.) D. MITRA, Director General

Foot note :

Principal rules were notified vide G.S.R. No. 405(E) dated 31st August, 1973 and subsequently amended vide G.S.R. No. 683(E) dated 6th December, 1979.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054, 1983